

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक/नर्सिंग (F)/स्वै0नि0/वी-06/2019/

दिनांक:-


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
बीकानेर।

विषय: श्रीमती वसन्ता कुमारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के स्वैच्छिक सेवा  
निवृत्ति आदेश जारी करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1401-02 दिनांक 08.02.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्रीमती वसन्ता कुमारी, महिला  
स्वास्थ्य दर्शिका, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के दिनांक  
01.04.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि निदेशालय के  
आदेश क्रमांक नर्सिंग/विविध/06/365 दिनांक 21.11.2006 के द्वारा नर्सिंग कर्मियों की  
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर रोक है।

अतः कार्मिका को दिनांक 01.02.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया  
जाना सभव नहीं है आप अपने स्तर से कार्मिका को पाबन्द/सूचित करें।



संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्वै0सेनि0/वी-06/2019/414

दिनांक:- 24/3/19

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर  
अपलोड करें।



संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर